न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30/2017 – निगरानी

1. सुखदास आत्मज सोहनदास वैष्णव
2. नारायण आत्मज सुरजमल गुर्जर
   सर्व निवासी– गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. रतनलाल आत्मज छगनलाल गुर्जर
2. पारसमल आत्मज छगनलाल गुर्जर
   सर्व निवासी– गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये सरपंच/सचिव

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत गलवा दिनांक 25.09.2015 बाबत पट्टा संख्या– 33, 34 एवं 35 दिनांकित 04.12.2015

उपस्थित –

1. श्री पर्वत सिंह अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री विवेकानन्द शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 व 02 की ओर से
3. श्री सत्यनारायण सोमाणी अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26-11-.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम गलवा के नागरिक होकर ग्राम पंचायत गलवा के निर्वाचक है तथा पंचायत के विकास कार्यो में सहयोग करने में पंचायत का साथ देते रहे है और पंचायत की लाभ हानि का ध्यान रख कर सार्वजनिक हित की रक्षा करते है और इसलिए पंचायत द्वारा दिये गये उक्त गैर कानूनी पट्टों के बाबत निगरानी प्रस्तुत कर रहे है। ग्राम पंचायत गलवा ने उक्त पट्टे संख्या 33, 34, 35 अवैधानिक रूप से जारी किये है, जिनमें पंचायत नियम 1996 की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे जारी करते समय पंचायती राज नियमों को दरकिनार किया है तथा मिसल पर निःशुल्क पट्टा देने की बात अंकित की गई है जबकि पट्टों में ये पट्टे रियायती दर पर जारी करने का अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि पट्टे नियम विपरीत जारी किये गये है। गैर निगराकार रतनलाल व पारसमल दोनों छगनलाल के पुत्र होकर सगे भाई है। उनके गांव में पुश्तेनी मकान बने हुए है, अलग अलग मकानों में निवास कर रहे है तथा दो नोहरे अलग है जिसका एक का पट्टा छगनलाल के नाम जारी हुआ व एक नोहरा नरेन्द्रसिंह जी से क्रय किया था। पट्टा संख्या 33 व 34 दोनो रतनलाल गुर्जर के नाम पर जारी करवाये है, तथा पट्टा संख्या 35 उसके भाई पारसमल के नाम पर जारी करवाया है। गैर निगराकार के पूर्व में आवासीय मकान के होते हुए भी ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधान का उल्लंघन किया है चूंकि दोनों गैर निगराकार से पूर्व में आवासीय मकान है फिर भी उन्हे पट्टे जारी किये है। गैर निगराकार रतनलाल एवं पारस न तो विकलांग है, न ही बीपीएल में है तथा स्वयं के मकान होने के

बावजूद एक ही परिवार को तीन पट्टे जारी कर दिये है जो विधि विरूद्ध है। पंचायत द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है उसमें कुछ भूमि बिलानाम सरकार व कुछ भूमि वन विभाग की भी आती है लेकिन पंचायत ने उसे नजरअन्दाज कर गैर कानूनी तरीके से पट्टे जारी किये है। नक्शे में जो पट्टा संख्या 34 में दक्षिण में गोपीलाल जी का पडोस बताया गया है वो गलत है क्योंकि आधी भूमि बिलानाम व वन विभाग का पडोस है। प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गलवा द्वारा पट्टा संख्या 33, 34, 35 के संबंध में दिया गया आदेश दिनांक 25.09.2015 को मय पट्टों के निरस्त कराया जावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 12.07.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश नही हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत गलवा ने पट्टा संख्या 33, 34, 35 अवैधानिक रूप से जारी किये है, जिनमें पंचायत नियम 1996 की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे जारी करते समय पंचायती राज नियमों को दरकिनार किया है तथा मिसली पर निःशुल्क पट्टा देने की बात अंकित की गई है जबकि पट्टों में ये पट्टे रियायती दर पर जारी करने का अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि पट्टे नियम विपरीत जारी किये गये है। गैर निगराकार के पूर्व में आवासीय मकान के होते हुए भी ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधान का उल्लंघन किया है चूंकि दोनों गैर निगराकार से पूर्व में आवासीय मकान है फिर भी उन्हे पट्टे जारी किये है। गैर निगराकार रतनलाल एवं पारस न तो विकलांग है, न ही बीपीएल में है तथा स्वयं के मकान होने के बावजूद एक ही परिवार को तीन पट्टे जारी कर दिये है जो विधि विरूद्ध है। पंचायत द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है उसमें कुछ भूमि बिलानाम सरकार व कुछ भूमि वन विभाग की भी आती है लेकिन पंचायत ने उसे नजरअन्दाज कर गैर कानूनी तरीके से पट्टे जारी किये है। नक्शे में जो पट्टा संख्या 34 में दक्षिण में गोपीलाल जी का पडोस बताया गया है वो गलत है क्योंकि आधी भूमि बिलानाम व वन विभाग का पडोस है। प्रार्थी रतनलाल के आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2015 में बाडा जिसमें मवेशी व चारा रखा हुआ हैं, का पटटा बनाने हेतु आवेदन किया हैं। ग्राम पंचायत की प्रोसेडिंग दिनांक 15.07.2015 में रसीद नम्बर व दिनांक खाली हैं। इन बाडो की शिकायत होने पर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें अंकन किया गया कि खसरा नं. 434/1 रकबा 23 बीघा वन विभाग के नाम , 434/2 रकबा 2 बीघा आबादी ग्राम पंचायत, 434/3 रकबा 2 बिस्वा बाडा गोपी पिता छोगा गाडरी एवं 434मी. रकबा 21.14 बीघा हैं। विवादित भूखण्ड की नपती करने पर लम्बाई 100 फीट एवं चौडाई 66 फीट पायी गयी। जिसके चारों ओर करीब 7 फीट की उंचाई में सीमेन्ट की दिवारे बना रखी हैं। उक्त भूखण्ड के अन्दर वादीगणों के मवेशी बंधते हैं। तथाकथित भूखण्ड का आगे का हिस्सा लगभग 15 फीट आबादी भूमि में व शेष 51 फीट बिलानाम सरकारी भूमि में आती हैं व पिछे की ओर दीवार 35 फीट आबादी भूमि मे व शेष 31 फीट आंशिक बिलानाम व वन विभाग की भूमि जो कि वर्तमान नक्शे के अनुसार आ रही है। नियम 157(2) अनुसार विनियमीतीकरण का प्रावधान महिला के लिए हैं, जो यहां लागू नही होता हैं। कब्जा भी 2003 से ही हैं जो पात्रता नहीं रखता हैं। आबादी भूमि में मवेशीयों के लिए पटटा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार

की जाकर ग्राम पंचायत गलवा द्वारा पट्टा संख्या 33, 34, 35 के संबंध में दिया गया आदेश दिनांक 25.09.2015 को मय पट्टों के निरस्त कराया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार की निगरानी के पैरा संख्या 01 अनुसार निगराकार इन पटटों से व्यथित व्यक्ति नहीं हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली मे हस्ताक्षर एवं दिनांक रिक्त होने से पटटाधारी का कोई दोष नहीं हैं। राज्य सरकार के निर्देशों में कब्जे आधारित पटटे दिये जाने का (विनियमीतीकरण) प्रावधान हैं। नियम 157(2) में बाडे इत्यादि का भी प्रावधान हैं। गैर निगराकार को रियायती दर पर पटटा जारी हुआ है। इन्होनें पंचायत में भी शिकायत गलत पटटे जारी किये जाने की नही की। जिस सिविल सूट का निगराकार ने जिक्र किया हैं उसमें पंचायत पक्षकार नहीं हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

गैर निगराकार सं. 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण पालना कर विधिवत् तौर पर गैर निगराकार को पटटे जारी किये है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत गलवा की पत्रावली संख्या 32 दायर दिनांक 15.07.2015 में श्री रतनलाल पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गलवा के नाम पर 1200 वर्गफीट भूमि आबादी का पटटा संख्या 33 दिनांक 25.09.2015 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी पटटेदार के ओ.बी.सी. होने के आधार पर पटटा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया गया, जबकि नियम 157(2) के तहत पिछडे वर्ग को निःशुल्क पटटा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

ग्राम पंचायत गलवा की पत्रावली संख्या 33 दायर दिनांक 15.07.2015 में श्री रतनलाल पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गलवा के नाम पर 1650 वर्गफीट भूमि आबादी का पटटा संख्या 34 दिनांक 25.09.2015 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी पटटेदार के ओ.बी.सी. होने के आधार पर पटटा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया गया, जबकि नियम 157(2) के तहत पिछडे वर्ग को निःशुल्क पटटा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

ग्राम पंचायत गलवा की पत्रावली संख्या 34 दायर दिनांक 15.07.2015 में श्री पारसमल पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गलवा के नाम पर 1650 वर्गफीट भूमि आबादी का पटटा संख्या 35 दिनांक 25.09.2015 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत निःशुल्क जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी पटटेदार के ओ.बी.सी. होने के आधार पर पटटा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया गया, जबकि नियम 157(2) के तहत पिछडे वर्ग को निःशुल्क पटटा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. **जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में**

पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

पंचायत राज सामान्य नियम 157 क व ख में ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकानों का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। नियम 157 क के अंतर्गत 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकान के लिये 100/–रू. व नियम 157 ख में 50 वर्षों के दौरान निर्मित मकान के लिये 200/– रू. पट्टा फीस निर्धारित होकर पट्टा जारी करने की नियमों में व्यवस्था दी गयी है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी रतनलाल पुत्र छगनलाल गुर्जर निवासी गलवा के नाम पर दो पटटे जारी किये गये जिनका 1200 + 1650 वर्गफीट कुल 2850 वर्गफीट क्षेत्रफल होता है, जो नियम 157(2) की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं।

इसी प्रकार प्रार्थी पारसमल पुत्र छगनलाल गुर्जर निवासी गलवा की पत्रावली सं. 34 की प्रोसेडिंग में 40 बाई 30 फीट यानि 1200 वर्गफीट का पटटा जारी करने हेतु कोरम में प्रस्ताव रखा गया, जबकि पटटा 1650 वर्गफीट का जारी किया गया जो विरोधाभासी है। इसी प्रकार प्रार्थी की पटटा पत्रावली सं. 34 पर निःशुल्क अंकन किया हैं, जबकि इसी पत्रावली के मौका निरीक्षण पत्र में सदस्यों द्वारा नियम 157(2) के तहत रियायती दर पर पटटा जारी किये जाने की अनुमति दी हैं, जो विरोधाभासी होकर नियम 157(2) की स्पष्ट उल्लंघना हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत गलवा तहसील रायपुर स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत गलवा द्वारा पारित पटटा संख्या 33, 34 एवं 35 दिनांकित 25.09.2015 को खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गलवा तहसील रायपुर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक २६/११ .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा